राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम, जोधपुर
सेक्टर–11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर में 04 आवासीय मकान, 15 निर्मित दुकान एवं कियोस्क, 05 मारवाड़ अपार्टमेन्ट फ्लेट

"जहाँ है जैसा है"

की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा भव्य नीलामी बोली

नीलामी बोली हेतु मोहरबन्द प्रस्ताव प्राप्त करने की अवधि दिनांक 20.05.16 से 20.06.16 सायं 3:00 बजे तक

नीलामी बोली में प्राप्त मोहरबन्द प्रस्तावों को खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 21.06.16 सुबह 11:00 बजे

आवासीय मकान

क्र.सं.	आवासीय मकान नं. व श्रेणी		कॉर्नर/ सामान्य	आवास का क्षेत्रफल/माप आदि का विवरण	न्यूनतम बिड मूल्य (प्रति आवास)	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि
01	02		03	04	05	06
1	17-E-65	HIG	Ordinary	189.00	8355000.00	417750.00
2	17-E-66	HIG	Ordinary	189.00	8355000.00	417750.00
3	18-E-562	HIG (Skelton)	Corner	191.70	7473000.00	373650.00
4	11/758	HIG (Plinth)	Ordinary	189.00	7179000.00	358950.00

निर्मित दुकान एवं क्योस्क

क्र.सं.	निर्मित दुकान एवं क्योस्क नं.	कॉर्नर/ सामान्य	निर्मित दुकान एवं क्योस्क का क्षेत्रफल/माप आदि का विवरण	न्यूनतम बिड मूल्य (प्रति आवास)	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि
01		03	04	05	06
1	11/1	Corner	9.90	947525.00	47376.00
2	11/2	Ordinary	9.24	902405.00	45120.00
3	11/7	Corner	10.39	947525.00	47376.00
4	11/8	Corner	10.39	947525.00	47376.00
5	11/9	Ordinary	9.30	902405.00	45120.00
6	11/10	Corner	10.39	947525.00	47376.00
7	11/11	Corner	10.39	947525.00	47376.00
8	11/12	Ordinary	9.30	902405.00	45120.00
9	11/13	Ordinary	9.30	902405.00	45120.00
10	11/14	Corner	10.39	947525.00	47376.00
11	14-S-4	Ordinary	10.40	986240.00	49312.00
12	21-K-1	Ordinary	4.00	429065.00	21453.00
13	21-K-2	Ordinary	4.00	429065.00	21453.00
14	21-K-3	Ordinary	4.00	429065.00	21453.00
15	21-K-4	Ordinary	4.00	429065.00	21453.00

…ड़ अपार्टमेन्ट फ्लेट मध्यम आयवर्ग 'ब'

क्र. सं.	फ्लेट नं.	कॉर्नर/ सामान्य	फ्लेट का बिल्ट अप एरिया	न्यूनतम बिड मूल्य (प्रति आवास)	संलग्न की जाने वाली अमानत राशि
01		03	04	05	06
1	14-E/A-806	8th	71.90	3000000.00	150000.00
2	14-E/B-405	4th	71.90	3000000.00	150000.00
3	14-E/B-603	6th	71.90	3000000.00	150000.00
4	14-E/B-804	8th	71.90	3000000.00	150000.00
5	14-E/B-901	9th	71.90	3000000.00	150000.00

Note- 1. While issuing of allotment letter other admissiable charges viz open parking charges & Ancillary service charges as pre existing rules will be added on highest Bid recevied.

1) बिड़दाताओं द्वारा नीलामी बोली में बिड़ प्रस्तुत करने हेतु बिड़ आवेदन पत्र मय नीलामी बोली की शर्तों के विस्तृत विवरण, संबंधित कार्यालय से दिनांक 20.05.16 से 20.06.16 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अथवा मण्डल की वेबसाईट **www.rhbonline.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता	उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड प्रथम,	राजस्थान आवासन मण्डल वृत द्वितीय,
सेक्टर 11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर	सेक्टर 11, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
फोन : 02912700180	फोन : 02912711912

...व भेजन की प्रक्रिया :–

...वासीय मकान, निर्मित दुकान एवं क्योस्क, मारवाड़ अपार्टमेन्ट फ्लेट के लिए आरक्षित दर लीज राशि आरक्षित दर रहवासीय आवास के लिये 2.5 प्रतिशत एवं निर्मित दुकान एवं क्योस्क के लिये कीमत की 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

1. ...भी में आवासीय मकान, निर्मित दुकान एवं क्योस्क, मारवाड़ अपार्टमेन्ट फ्लेट क्रय करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव दर्शाते हुए मुहरबंद (चपडी द्वारा सील) लिफाफे में सबंधित कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत द्वितीय चौपासनी आवासीय योजना जोधपुर में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे में जिस आवासीय मकान, निर्मित दुकान एवं क्योस्क, मारवाड़ अपार्टमेन्ट फ्लेट हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। उस आवासीय मकान, निर्मित दुकान एवं क्योस्क, मारवाड़ अपार्टमेन्ट फ्लेट का विवरण/नम्बर स्पष्ट लिखना आवश्यक है। 2. निविदादाता द्वारा लिफाफे पर मण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र सूचनाऐं दर्शाना अनिवार्य होगा। 3. आवासीय मकान, निर्मित दुकान एवं क्योस्क, मारवाड़ अपार्टमेन्ट फ्लेट हेतु आरक्षित वर्ग मे निविदा प्रपत्र के साथ संक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।

नीलामी की शर्ते :–

1. मोहरबंद प्रस्ताव नीलामी दिनांक 20.05.2016 से 20.06.16 तक बेची जायेगी 2. मोहरबंद प्रस्ताव कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत द्वितीय चौपासनी आवासीय योजना जोधपुर में दिनांक 21.06.16 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। 3. आवासीय मकान, निर्मित दुकान एवं क्योस्क, मारवाड़ अपार्टमेन्ट फ्लेट जहाँ है जैसा है के आधार पर निस्तारित किया जायेगे। 4. आवासीय मकान, निर्मित दुकान एवं क्योस्क, मारवाड़ अपार्टमेन्ट फ्लेट का माप मौके अनुरूप होगा यानि की दर्शायी गई माप में कमी/बढोतरी हो सकती है। 5. नीलामी से सबंधित समस्त राशि नगद रूप में प्राप्त न की जाकर पे–आर्डर /बैकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट जो कि **राजस्थान आवासन मण्डल** के पक्ष में जोधपुर में देय के जरिये प्राप्त की जायेगी। 7. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिए निविदादाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में पे–आर्डर /बैकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करानी होगी। 8. सशर्त बोली प्रस्ताव एवं अमानत राशि पे–आर्डर /बैकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट रहित प्रस्ताव सीधे ही निरस्त माने जावेगे। 9. निविदादाता द्वारा दिये गये प्रस्ताव में अंकों व शब्दों में भरी राशि अंतर होने पर शब्दों मे लिखी गई राशि मान्य होगी। 10. अधिकतम मूल्य प्रस्ताव देने वाले निविदादाता को नीलामी की राशि का 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गई राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। 11.शेष राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस में जमा करानी होगी यदि बोलीदाता द्वारा 60 दिवस की निर्धारित अवधि तक समस्त बकाया राशि जमा नही कराने की स्थिति में बोली की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं बोली स्वतः निरस्त हो जायेगी परन्तु यदि निविदादाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नही कराता है तो वह लिखित में समयावृद्धि का अनुरोध करने पर मण्डल में प्रचलित नियमों के तहत् ही प्रकरण को नियमित किया जा सकेगा। 12. आवंटन पत्र में स्वीकृत निविदा की शेष राशि के साथ मण्डल नियमानुसार लीज मनी एवं अन्य देय राशिया अलग से देय होगी। 13. एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जायेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मण्डल मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। 14. मुहरबंद निविदा में एक से अधिक निविदा समान दर की प्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित निविदादाताओं से बंद लिफाफे में पुनः दर प्राप्त की जायेगी जो कि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नही होगी। 15. एक निविदादाता एक से अधिक निविदा में भाग ले सकेगा एवं एक ही परिवार के सदस्य चाहे पति पत्नि ही क्यो न हो नीलामी में भाग ले सकते है एवं नीलामी से सम्पति क्रय कर सकते है। 16. विक्रय किये गये भूखण्ड की सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा होने के पश्चात् 30 दिवस में लीज डीड करवाना अनिवार्य होगा निविदादाता यदि परिवार के अन्य सदस्य के नाम लीज डीड बनवाना चाहता है तो रूपये 10,000/– शुल्क देकर परिवर्तन करवा सकता है लीजडीड जारी होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा उक्त अवधि में निर्माण नही करवाने पर विभागीय नियमानुसार शास्ति जमा कराने पर आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य कराना अनिवार्य होगा अर्थात भूखण्ड क्रय करने की अवधि से 5 वर्ष में पूरा निर्माण नही किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं रा.आ.म. उस भूखण्ड को भारमुक्त मानते हुए कब्जा ले सकेगा एवं आवंटी अथवा निविदादाता की जमा कराई गई राशि रा.आ.म. के हक में जब्त की जा सकेगी। निविदादाता द्वारा निरस्तीकरण एवं भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। 17. निर्माण मण्डल द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुरूप कराना होगा। 18. अन्य शर्ते प्रपत्रानुसार एवं आवासन आयुक्त द्वारा जारी आदेश क्रमांक 650 दिनांक 28.01.2014 के अनुरूप मान्य होगा। 19. किसी भी मुहरबंद प्रस्ताव/सभी प्रस्तावकों को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार रा.आ.म. के पास सुरक्षित है इस सबंध बाद विवाद स्वीकार नही होगा। 20.निर्मित फ्लेट की एकमुश्त कीमत ही बिड में भरी जावें 21.सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होगे 22. निर्मित आवासीय फ्लेट के बोलीदाता को मारवाड़ अपार्टमेन्ट की सोसायटी का सदस्य बनना होगा तथा इसके लिये निर्धारित राशि 133018/–बिड की राशि के अतिरिक्त जमा कराना होगा एवं सोसायटी की निर्धरित शर्तो को मान्य करना होगा। 23नीलामी के सबंध में विस्तृत शर्ते , बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप लिफाफे पर लिखे जाने वाला विवरण का प्रारूप व अन्य विवरण मण्डल की वैबसाईट WWW.rhbonline.rajasthangov.in पर देखी जा सकती है एवं सबंधित सम्पर्क सूत्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(सी.आर. देपन)
आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड प्रथम, जोधपुर।
सेक्टर 11 चौपासनी आवासीय योजना
जोधपुर फोन न. 0291–2700180

(नरेन्द्र बोहरा)
उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत द्वितीय, जोधपुर।
सेक्टर 11 चौपासनी आवासीय योजना
जोधपुर फोन न. 0291–2711912